न्यायालय : आशुतोष खेतान, अपर सत्र न्यायाधीश – ग्यारह, नवादा।

नियमित जमानत आवेदन सं0 – 341 / 2026

(पकरीबरावां थाना काण्ड संख्या – 246 / 2025 से उद्भूत)

अन्तर्गत धारा 103 / 3(5) बी0एन0एस0

कांति देवी बनाम् बिहार सरकार

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
19.03.2026	01. प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन दिनांक 03.01.2026 से काराधीन अभियुक्त / आवेदिका **कांति देवी**, पति – सरयुग यादव, ग्राम – हसनगंज, थाना – पकरीबरावां, जिला – नवादा की ओर से पकरीबरावां थाना काण्ड संख्या – 246 / 2025 अन्तर्गत धारा 103 / 3(5) बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया है जिसकी प्रति अभियोजन को दी गयी है। 02. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री बालेश्वर प्रसाद जमानत आवेदन को संचालित कर कहते हैं कि आवेदिका निर्दोष हैं तथा इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्होंने इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया है। आगे कथन है कि कोई घटना नहीं घटी है और इनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। यह भी कथन है कि ये एक गृहिणी हैं और इनका सूचक के पिता से कोई वास्ता नहीं है। अंततः कथन है कि आवेदिका दिनांक 03.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है और बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है, इसलिए इनके जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाए। 03. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहते हैं कि आवेदिका पर सीधा आरोप है और इनके विरूद्ध अनुसंधान जारी है, इसलिए इनका जमानत आवेदन खारिज किया जाए। 04. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। सूचक सुरेन्द्र कुमार का प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, पकरीबरांवा में दर्ज फर्दबयान के अनुसार, अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 22.06.2025 को समय 10 बजे रात्रि में सूचक के पिता घर पर थे तभी गांव के अजय यादव एवं संजय यादव आए और उन्हें पोल्ट्री फार्म दिखाने की बात कहकर अपने साथ ले गये। कुछ समय बाद हल्ला सुनकर सूचक बाहर आए तो देखा कि गांव के स्कूल के पास पहले से घात लगाकर बैठे कुंदन कुमार, नंदन कुमार, चंदन कुमार, सरयुग यादव, **कांति देवी (आवेदिका)** तथा घर से बुला कर ले जाने वाले अजय यादव एवं संजय यादव सभी हरवे–हथियार से लैस होकर उनके पिता के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचक जैसे ही स्कूल के पास पहुंचे तभी कुंदन कुमार ने गड़ासा से तथा नंदन कुमार ने कुदाल के पासा से जान मारने की नीयत से उनके पिता के सिर एवं गला पर वार कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गए तथा बेहोश हो गए। चंदन पिस्तौल लेकर जान मारने की धमकी दिया तथा अजय यादव, संजय यादव, सरयुग यादव एवं कांति देवी खंती–रॉड से सूचक के पिता के साथ मारपीट करते रहे। हल्ला सुनकर सूचक का चचेरा भाई गुड्डु कुमार आकर बीच–बचाव करने लगा तो उसे एवं सूचक को संजय यादव, अजय यादव एवं कुंदन कुमार ने खींच कर वहां से हटा दिया। हल्ला सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो सभी मुदालय धमकी देते हुए भाग गए। सूचक अपने पिता को अस्पताल लेकर आए जहां उन्हें डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, इसलिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। 05. विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख में संलग्न कांड–दैनिकी के कंडिका 05 में वादी ने अपने पुर्नबयान में तथा कंडिका 06, 26, 27 एवं 40 में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया। कंडिका 28 के अनुसार अभियुक्तों के डर से कोई भी स्वतंत्र साक्षी बयान देने को तैयार नहीं हुआ। कंडिका 47 एवं 54 के अनुसार सूचक द्वारा पुलिस को	

लगातार.... 19.03.2026	लिखित आवेदन / सूचना दी गई थी कि अभियुक्तों द्वारा उन्हें एवं साक्षियों को गंभीर अंजाम भुगतने के लिए धमकी दिया जा रहा है। संलग्न अन्त्य–परीक्षण रिर्पोट में मृतक सतेन्द्र यादव को निम्न जख्म पाया गया है :– 01. Rigor mortis present all over the body, 02. Blood present in B/L nostril and ear canal, 03. Laccerated wound of size 3 x 0.5 inch, bone deep, present over mid parieto-occipital region of head, 04. Laccerated wound of size 1 x 0.5 inch, present over left temporal region, just lateral to left eye, 05. Laccerated wound of size 1 x 0.5 inch, present over left angle of mandible, 06. Laccerated wound of size 2 x 0.5 inch, present over left temporal region, just behind the left ear pinna, 07. Diffuse swelling present over right parieto-temporal region of head, 08. Abrasion of size 1 x 1 inch, present over antero-lateral aspect of left knee, 09. Grazed abrasion present over dorsal aspect of all fingers of both foot, **<u>On Dissection:-</u>** 10. Massive haematoma seen in the layer of scalp at right parieto-temporal region, 11. Fracture of mid frontal, mid parietal and right temporal bone seen, 12. Cranial cavity contains blood and blood clots तथा मृत्यु का कारण निम्न है :– **Shock due to haemorrhage caused by above mentioned injury sustained over head by hard and blunt substance.** अनुसंधान पश्चात् अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित है और आवेदिका के विरूद्ध अनुसंधान जारी है। आवेदिका दिनांक 03.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। वाद के नामित सह–अभियुक्त सरयुग यादव का नियमित जमानत आवेदन पूर्व में इसी न्यायालय तथा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना से भी खारिज है। 06. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आवेदिका का प्राथमिकी में नामित होना, इनपर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या करने का सीधा आरोप होना जिसे अन्त्य–परीक्षण रिर्पोट से बल मिलना, नामित सह–अभियुक्तों का नियमित जमानत इस न्यायालय तथा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना से भी खारिज होना तथा आवेदिका के विरूद्ध अनुसंधान लंबित रहने के आलोक में यह न्यायालय आवेदिका को नियमित जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तद्नुसार आवेदिका **कांति देवी** का नियमित जमानत आवेदन न्यायहित में **खारिज** किया जाता है। 07. कार्यालय इस आदेश की एक प्रति के साथ मूल अभिलेख को संबंधित न्यायालय में अविलंब भेंजे। (लेखापित) (आशुतोष खेतान) अपर सत्र न्यायाधीश–ग्यारह, नवादा।	